संख्या–780 / आ.ब.–अ.नि. / भवन उपविधि / 2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी आवास संघ लि.,
6–बी, पार्क रोड, जैसवाल काम्पलेक्स,
लखनऊ।

आवास बन्धु                                                                 लखनऊ : दिनाँक : 26 दिसम्बर, 2000

**विषय : सहकारी आवास समितियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के उपरान्त विकसित की जाने वाली कालोनियों / क्षेत्रों के आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या 10951 / आवास दिनांक 30.9000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि शासनादेश संख्या 1617 / 9–आ–3–38 विविध / 97 दिनांक 1.5.1997 के अधीन नगर के नए क्षेत्रों एवं विकासशील क्षेत्रों के आवासीय मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्धारित की गई नीति सहकारी आवास समितियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेकर विकसित की जाने वाली कालोनियों / क्षेत्रों में भी लागू की जानी चाहिए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में किए गए सरलीकरण से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अध्याय–3 भाग–1 में ''अनुज्ञा प्रक्रिया'' के अन्तर्गत समाविष्ट कर लिया गया है। उक्त उपविधि शासनादेश संख्या 4716 / 9–आ–1–29 विविध / 98 दिनांक 21.10.2000 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों (आगरा, फिरोज़ाबाद–शिकोहाबाद, हापुड़–पिलखुआ व झाँसी को छोड़कर) तथा आवास एवं विकास परिषद् में लागू की जा चुकी और भवन मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही नई भवन उपविधि में निहित प्रक्रियानुसार ही की जानी अपेक्षित है। नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 की एक प्रति आपके कार्यालय उपयोग हेतु संलग्न है।

**संलग्नक : उपरोक्तानुसार**

भवदीय,

**संजय भूसरेड्डी**
विशेष सचिव